चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका गीता देवी पत्नी नारेन्द्र कुमार थाना क्षेत्र मऊ द्वारा अपने पति नारेन्द्र व देवर कमल कुमार के विरुद्ध लडाई झगडा करना,गाली गलौच तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र से महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह

2.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफटीसी श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 22.06.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्ता दुखरानी पत्नी प्रेम कुमार निवासी मोहल्ला वाल्मीकि नगर कस्बा मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4). आज दिनांक 22.06.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक यातायात जनपद चित्रकूट श्री यामीन अहमद के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री हरीराम यादव मय चालक व हमराहीगण के साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोक थाम तथा सड़क दुर्घटनाओं मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने के क्रम में गेरूवापुल से पुलिस लाइन चित्रकूट के मध्य राष्टीय राजमार्ग -35 पर पढ़ने वाले चिन्हित ब्लाक स्पॉट में मध्य सड़क के बीचो बीच सीमेंटेड व मोबाइल बैरियर आयरन स्वयं मौजूद रहकर लगवाये गये। उक्त कार्य को देखकर आम जनमानस द्वारा यातायात पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा दिनांक 22.06.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 351/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त रामभरोसे वर्मा पुत्र रघुवा वर्मा निवासी बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जेल में बितायी गई अवधि से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 28.10.2025 को वादी खुन्नीलाल पुत्र सदाशिव निवासी बरियारी कला द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा उनकी पल्सर मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 351/25 धारा 303(2() बीएनएस बनाम अज्ञातच चोर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री मुन्नीलाल द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त रामभरोसे वर्मा उपरोक्त को दिनाँक 30.10.2025 को गिरफ्तार कर दिनाँक 07.11.2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा व उनकी टीम द्वारा थाना के सामने खड़े ओवरलोड़ डम्फर को चोरी करने के आरोपी चालक को चोरी के डम्फर मय बालू के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

1.रामबाबू निषाद पुत्र भानू निषाद निवासी ग्राम भकन्दा थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी उम्र 28 वर्ष

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद डम्फर मय बालू बरामद

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 21.06.2026 को वादी हे0मु0 कुलदीप सिंह पुत्र रघुवीर प्रसाद निवासी ज्योतिनगर थाना प्रेमनगर जनपद झांसी द्वारा सूचना दी गयी कि ओवरलोड़ डम्फर न0- UP 91 T-7168 जिसका चालान कर थाना मऊ के समाने खड़ा कराया गया था। दिनांक 21.06.2026 को सुबह करीब 08.00 बजे स्थानीय चौकीदार द्वारा चेक कराया गया तो डम्फर न0- UP 91 T-7168 गेट के बाहर सड़क पर मौजूद नही था जिसकी खोजबीन की गई तो जानकारी हुई कि डम्फर चालक रामबाबू पुत्र भानू निषाद निवासी ग्राम भखन्दा थाना सराय अकील जनपद कौशाम्बी डम्फर मय बालू को चोरी से लेकर चला गया । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 212/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रामबाबू निषाद पुत्र भानू निषाद निवासी ग्राम भकन्दा थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा एवं उनकी टीम ने अभियुक्त रामबाबू निषाद उपर्युक्त को मय एक अदद डम्फर के साथ महिला घाट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर बालू बरामद की गयी। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

3.आरक्षी सोनपाल

(7). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक व-17 यातायात (अमा०प्रेस नोट)/2026 दिनांकितः 12.06.2026 को निर्गत आदेश में मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत आंशिक सशोधन करते हुए दिनांक 25.06.2026 को प्रातः 05.30 बजे से दिनांक 26.06.2026 तक रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 26.06.2026 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 26.06.2026 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र0सं0	**स्थान**	**प्रतिबंधित समय**
1.	लोढ़वारा मोड़, राजापुर मार्ग	प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 21.30 बजे तक
2.	रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड	प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 22.00 बजे तक
3.	खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड	प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 22.00 बजे तक
4.	शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड	प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 22.30 बजे तक
5.	बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड	प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 23.00 बजे तक

शर्तें-

1. प्रातः 05.30 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः06.00 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।
2. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी।